


दिनांक

18.1.22

पत्रावली पेश हुई, प्रार्थी उपस्थित, तहसीलदार
मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल
पत्रावली किया गया। अप्रार्थी लो. 1 को कितनी
मर्तिवा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित
नहीं, इनके विकट एक तरफा, कार्यवाही किये जाने का
आदेश दिया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
मन्तर से कम है।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

कानून अधिकारी-डॉ पूजा सक्सेना आर ए एस

क्रमा संख्या - 159/21 प्रा.पत्र

श्री शिवलाल ज० श्री मोहन शर्मा निवासी-हिसानिया तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री सुरवेदव ज० श्री मोहन शर्मा निवासी-हिसानिया तहसील-माण्डल

राजस्थान राज्य जारिए तहसीलदार सा. माण्डल तहसील-माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 18.1.22

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम हिसानिया पटवार हल्का हिसानिया तहसील माण्डल में उसके /संयुक्त खाते की आराजी नं. 2198/2056 कुल कित्ता 01 रकबा 0.3793 हेक्टर बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.12.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैतिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम हिसानिया पटवार हल्का हिसानिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2198/2056 कुल कित्ता 01 रकबा 0.3793 हेक्टर बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलमास को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा जावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

नैलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा